UPBS120000512022

Presented on : 24-01-2022
Registered on : 24-01-2022
Decided on : 22-07-2022
Duration : 0 years, 5 months, 29 days

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL),

(उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

प्रकीर्ण वाद सं०– 09/2022

1. लवकुश प्रसाद उम्र 51 वर्ष पुत्र आद्या प्रसाद
2. आद्या प्रसाद उम्र 75 वर्ष
3. उमापति उम्र 68 वर्ष | पुत्रगण हरि प्रसाद
4. रमापति उम्र 63 वर्ष

निवासीगण ग्राम डेल्हवा, तप्पा चरकैला, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जनपद बस्ती।

------ प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण

बनाम

1. राघवराम उम्र 40 वर्ष पुत्र रामकेवल
2. तुलसीराम उम्र 55 वर्ष पुत्र बृजलाल
3. सालिकराम उम्र 50 वर्ष पुत्र बृजलाल

निवासीगण ग्राम डेल्हवा, तप्पा चरकैला, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जनपद बस्ती।

------विपक्षीगण/वादीगण

निर्णय

1. यह प्रकीर्ण वाद आवेदक की ओर से सिविल प्रकिया संहिता के आदेश–39 नियम – 2ए, के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या– 143/2020 राघवराम आदि बनाम लवकुश प्रसाद आदि एवं काउन्टरक्लेम लवकुश प्रसाद आदि बनाम राघवराम आदि में पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांकित 10.09.2021 का उल्लंघन करने के कारण विपक्षीगण को सिविल कारागार में निरूद्ध व चल तथा अचल सम्पत्ति को कुर्क कर दण्डित किया जाय।

2. प्रश्नगत मामले में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत की गयी याचिका सं० 695/2022 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18.02.2022 को उक्त प्रकीर्ण वाद को तीन माह की अवधि में निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया है।

3. प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा प्रार्थनापत्र 4ग2 में संक्षिप्त कथन यह किया गया है कि मूलवाद संख्या–143/2020 राघवराम आदि बनाम लवकुश प्रसाद आदि एवं काउन्टरक्लेम लवकुश प्रसाद आदि बनाम राघवराम आदि इस न्यायालय में लम्बित है, जिसमें वादीगण राघवराम आदि एवं काउन्टरक्लेमकर्ता लवकुश प्रसाद आदि ने जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा शिकमी नम्बरान 129 एवं शिकमी नम्बरान 125,128,127,126 व 130 एवं गाटा सं० 38/4 के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी थी, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2021 को दौरान मुकदमा विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी वादीगण एवं काउन्टरक्लेमकर्तागण दोनों पक्षों को थी। काउन्टरक्लेमकर्ता विवादित नम्बरान पर दावा के पूर्व शिकमी नम्बरान पर मकान बनवा रहा था, जिसमें काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा विवादित आराजी पर 18 पिलर एवं नींव भरवाया था। इसी बीच वादी राघवराम आदि ने दावा दाखिल किया और काउन्टरक्लेमकर्ता ने अपना काउन्टरक्लेम विवादित आराजियात के बाबत दाखिल किया। पक्षकारान के प्रार्थनापत्र 6ग2 पर बहस होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2021 को पक्षकारों को यथास्थिति बनाने का आदेश पारित कर दिया। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद वादीगण ने स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए दिनांक 18.01.2022 को काउन्टरक्लेमकर्ता को तनहा पाकर विवादित शिकमी नम्बरान प्रदर्शित नक्शा नजरी काउन्टरक्लेम अ,ब,स,द एवं य,र,ल,व में काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा बनाए गए 08 पिलर को काटकर छड़ों को उठा ले गए तथा खाली जमीन पर गोबर, कंडा तथा लकड़ी आदि रखकर मिट्टी पाटकर मड़हा रख लिए और मना करने पर आमादा फौजदारी हो गए, जिसकी सूचना काउन्टरक्लेमकर्ता ने थाना पर दिया। लेकिन वादीगण के साजिश में थाना मुकामी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया। विपक्षीगण का उपरोक्त कृत्य अवैधानिक तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.09.2021 का उल्लंघन है और मौके की स्थिति में जबरदस्ती परिवर्तन कर देने के कारण न्यायालय की अवमानना है। अतः विपक्षीगण/वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर उनकी निजी सम्पत्ति स्थित मौजा डेल्हवा, तप्पा चरकैला, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती खाता सं० 00054, गाटा सं० 188 रकबा 0.1470 हे० को कुर्क किये जाने तथा उन्हें सिविल इम्प्रिजनमेन्ट में भेजे जाने की याचना की गयी है।

4. विपक्षीगण/वादीगण की ओर से आपत्ति कागज सं० 24ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सायलान लवकुश आदि विपक्षीगण के शिकमी नम्बर 129 में अवैध तरीके से निर्माण करना शुरू कर दिए थे तब विपक्षीगण ने वाद सं० 143/2020 दाखिल किया और पुलिस को सूचना दिया तो लवकुश आदि अपने अवैधानिक कार्य में सफल नहीं हो पाए।

पुलिस ने काम रोकवा दिया, तब लवकुश आदि अपना ईंट, मोरंग आदि वहां से उठा ले गए और न्यायालय में जवाब तथा काउन्टरक्लेम लगाकर प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं 26ग2 के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय से डायरेक्शन लाये। न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 व 26ग2 का निस्तारण दिनांक 10.09.2021 को किया गया, जिसमें उभयपक्ष को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हुआ। इस आदेश से लवकुश आदि संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे अवैधानिक तरीके से विपक्षीगण की आराजी सं० 129 में निर्माण करना चाहते थे। सायलान ने आदेश दिनांकित 10.09.2021 के विरूद्ध माननीय जिला जज महोदय के न्यायालय में अपील दाखिल किया, जो विचाराधीन है। वहां भी सफलता न देखकर विपक्षीगण को हैरान व परेशान करने की नीयत से यक कन्टेम्प्ट वाद दाखिल कर दिया तथा जाल फरेब करके नोटिस रोकवा दिया। इसी बीच अदालत अमीन मौके पर गए, बिना कोई नोटिस दिए, तब उन्होंने बताया कि न्यायालय में नया वाद 09/2022 विचाराधीन है, तब जानकारी हुई। विपक्षीगण आदेश दिनांकित 10.09.2021 के पारित होने से बहुत प्रसन्न हुए। यथास्थिति कायम होने से विपक्षीगण की सम्पत्ति सुरक्षित हो गयी। विपक्षीगण ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कियाहै और न ही विवादित भूमि में कोई पिलर स्थित है। सायलान जबरदस्ती विपक्षीगण के शिकमी नम्बर 129 में पिलर लगाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को सूचना देने पर उन्होंने काम रूकवा दिया तथा अपना सीमेन्ट आदि सामान वहां से उठाकर ले गए। स्थगन आदेश पारित होने की तिथि को कोई पिलर विवादित भूमि में स्थित नहीं था। इसलिए उसे काटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। विवादित शिकमी नम्बर 129 में विपक्षीगण अपने पूर्वजों के समय से घारी, चरन आदि रखते चले आ रहे हैं और आज भी उसी प्रकार रखते है। कोई नया निर्माण या मड़हा नहीं रखा गया है। शिकमी नम्बर 124,125 में विपक्षीगण का मकान, सहन स्थित है। पूर्व की भांति अपने मकान, सहन, घारी, चरन का उपयोग करते चले आ रहे हैं। सायलान ने विपक्षी राघवराम के विरूद्ध दिनांक 18.06.2020 को एनसीआर सं० 88/2020, अन्तर्गत धारा 427, 504, 352 भा०दं०सं० दर्ज करा दिया और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षी ने अपना जमानत कराया है। हरिश्चन्द्र पुत्र पटेशर माह मार्च में अपने हिस्से में शिकमी नम्बर 38 व 40 में निर्माण कर रहे थे, जिससे विपक्षीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है, न ही विपक्षीगण की तरफ से विवादित ही है। वादी ने शिकमी नम्बर 38,40,45,35 आदि नम्बरान को विवादित बनाया है। हरिश्चन्द्र द्वारा किए जा रहे निर्माण को अदालत को दिखाकर झूठा रिपोर्ट लगवाने का प्रयास कर रहा है कि यह निर्माण विपक्षीगण द्वारा किया जा रहा है और विपक्षीगण को गलत तरीके से दण्डित कराना चाहता है। अतः प्रार्थनापत्र कन्टेम्प्ट निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5. प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा प्रतिआपत्ति कागज सं० 26ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि कथन विपक्षीगण पैरा–2 इस कारण गलत है, क्योंकि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के वाद सं० 143/2020 के विरूद्ध अपने बैनामे के नम्बरान के बाबत एक

काउन्टरक्लेम दाखिल किया है और उक्त काउन्टरक्लेम में प्रार्थीगण ने अपने बैनामाशुदा नम्बरान में 18 पिलर सीमेन्ट के फाउन्डेशन सहित बनवाकर खड़ा किया था। यह स्थिति विपक्षीगण को नागवार लगा और प्रार्थीगण के काम को रोकवाने के लिए उन्होंने एक दावा मूलवाद सं० 143/2020 दाखिल किया, लेकिन उनको स्थगन के बाबत कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं 26ग2 के निस्तारण के समय दिनांक 10.09.2021 को उभयपक्ष को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थीगण रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहा करते हैं, विपक्षीगण आदेश दिनांकित 10.09.2021 को अनुचित लाभ लेते हुए प्रार्थीगण के बैनामाशुदा आराजी में बने हुए सीमेन्ट के पिलर में से 08 पिलर को दिनांक 18.01.2022 को काटकर काफी नुकसान किया तथा खाली जमीन पर गोबर, कंडा तथा लकड़ी आदि रखकर मिट्टी पाटकर मड़हा रखकर नवइयत बदल दिये। इस प्रकार विपक्षीगण ने आदेश दिनांकित 10.09.2021 की अवमानना किया। विपक्षीगण के इस अवैधानिक कृत्य के लिए प्रार्थीगण/काउन्टक्लेमकर्तागण ने अवमानना का वाद दाखिल किया है। अतः आपत्ति विपक्षीगण को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

6. प्रार्थीगण/काउन्टक्लेमकर्तागण द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूचीपत्र कागज सं० 8ग1 द्वारा छायाप्रति आदेश दिनांकित 10.09.2021 कागज सं० 9ग1/1 ता 9ग1/3, छायाप्रति वादोत्तर/काउन्टरक्लेम कागज सं० 10ग1/1 ता 10ग1/4, नकल खतौनी कागज सं० 11ग1, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 12ग1, फोटोग्राफ कागज सं० 13ग1, सूची 15ग1 द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि आदेश माननीय उच्च न्यायालय दिनांकित 18.02.2022 कागज सं० 16ग1, सूची 29ग1 द्वारा नकल नक्शा नजरी कागज सं० 30ग1, छायाप्रति रिपोर्ट थाना कलवारी कागज सं० 31ग1, सूची 35ग1 द्वारा नकल वादोत्तर/ काउन्टरक्लेम कागज सं० 36ग1/1 ता 36ग1/5 दाखिल किया गया है एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में ए०डब्ल्यू० 1 लवकुश प्रसाद को परीक्षित कराया गया है।

7. विपक्षीगण/वादीगण द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 32ग1 द्वारा नकल केस डायरी कागज सं० 33ग1, नकल प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 155(2) सीआरपीसी कागज सं० 34ग1/1 ता 34ग1/3 दाखिल किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्ल्यू० 1 सालिकराम को परीक्षित कराया गया है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

9. प्रार्थी, जो मूलवाद सं० 143/2020 में प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता है, ने वादीगण/विपक्षीगण पर मुख्य रूप से यह अभियोग लगाया है कि मूलवाद सं० 143/2020 में दिनांक 10.09.2021 को शिकमी नम्बर 129, 125, 128, 127, 126 व 130 तथा गाटा सं० 38/4 के बाबत उभयपक्ष को दौरान मुकदमा विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति

बनाए रखने का आदेश पारित किया गया, जिसकी जानकारी वादीगण एवं काउन्टरक्लेमकर्ता आदि दोनों को थी।

10. यह कि दिनांक 18.01.2022 को वादीगण/विपक्षीगण, काउन्टक्लेमकर्तागण के शिकमी नम्बरान हस्ब नक्शा नजरी चौहद्दी जैल काउन्टरक्लेम अ,ब,स,द एवं य,र,ल,व में काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा बनाए गए 08 पिलर को काट डाले और मौके पर आदेश अदालत की अवमानना की गयी।

11. जबकि विपक्षीगण/वादीगण द्वारा अपनी आपत्ति कागज सं० 24ग1 में यह कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2021 के आदेश पारित होने के पश्चात विपक्षीगण/वादीगण द्वारा कोई पिलर नहीं काटा गया, न ही कोई निर्माण किया गया है। प्रार्थी/काउन्टरक्लेमकर्ता खुद ही विपक्षीगण/वादीगण के शिकमी नम्बर 129 में पिलर लगाने का प्रयास कर रहे थे और अवैध तरीके से जबरदस्ती निर्माण शुरू कर दिए थे। तब वादीगण/विपक्षीगण ने वाद सं० 143/2020 शिकमी नम्बर 129 के बाबत दाखिल किया और पुलिस को सूचना दिया, तो लवकुश आदि अपने अवैधानिक कार्य में सफल नहीं हो पाये। आदेश दिनांकित 10.09.2021 पाकर विपक्षीगण/वादीगण बहुत प्रसन्न हुए। यथास्थिति कायम हो जाने से विपक्षीगण की सम्पत्ति सुरक्षित हो गयी है। यह कि लवकुश आदि ने विपक्षी राघवराम के विरूद्ध दिनांक 18.06.2020 को एनसीआर सं० 88/2020, अन्तर्गत धारा 427, 504, 352 भा०दं०सं० दर्ज करा दिया और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षी ने अपना जमानत कराया है। प्रार्थी द्वारा गलत कथनों के आधार पर प्रकीर्ण वाद दाखिल किया है। विपक्षीगण/वादीगण न्यायालय के आदेश का पूर्णतया पालन किए है और कर रहे हैं।

12. आदेश 39 नियम 2ए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा के आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में यह साबित करना आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया हो तथा दोषी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के आदेश की जानकारी के बावजूद जानबूझकर उसकी अवहेलना की गयी हो।

13. प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा मूलवाद सं० 143/2020 में दिनांक 10.09.2021 को पारित आदेश की छायाप्रति कागज सं० 9ग1/1 ता 9ग1/3, वादोत्तर/काउन्टरक्लेम कागज सं० 10ग1/1 लगायत 10ग1/4 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा Camscanner के द्वारा scan कर दाखिल की गयी है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एवं जिसमें दौरान बहस वादीगण/विपक्षीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृर्षित कर यह बताया गया कि प्रार्थीगण द्वारा Camscanner से निकाली गयी वादोत्तर/काउन्टरक्लेम की छायाप्रति दाखिल की गयी है, वह मूल में दाखिल वादोत्तर/काउन्टरक्लेम से भिन्न है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का यह कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक है एवं न्यायालय को गुमराह करने की मंशा से दाखिल किया गया है। इसलिए

प्रार्थीगण द्वारा दाखिल छायाप्रति, जो कि Camscanner से निकाली गयी है, वह अपठनीय है एवं साक्ष्य में ग्राह्य प्रतीत नहीं होती है।

14. पुनः दिनांक 07.02.2022 को सूची सबूत 35ग1 के माध्यम से सायल/प्रार्थी द्वारा नकल वादोत्तर/काउन्टरक्लेम कागज सं० 36ग1/1 ता 36ग1/5 दाखिल किया गया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण ने जो काउन्टरक्लेम दाखिल किया था, वह जमीन अ,ब,स,द एवं य,र,ल,व हस्व चौहद्दी नक्शा नजरी काउन्टरक्लेम के बाबत दाखिल था, जिस पर न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं प्रतिवादीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण के प्रार्थनापत्र 26ग2 पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 10.09.2021 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया।

15. विपक्षीगण/वादीगण द्वारा अपनी आपत्ति में यह कथन किया गया है कि लवकुश आदि ने विपक्षी राघवराम के विरूद्ध दिनांक 18.06.2020 को एनसीआर सं० 88/2020, अन्तर्गत धारा 427, 504, 352 भा०दं०सं० दर्ज करा दिया और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षी ने अपना जमानत कराया है। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा सूची 32ग1 के माध्यम से नकल एक किता बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी वादी लवकुश एवं नकल प्रार्थनापत्र 155(2) सीआरपीसी की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

16. प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण ने अपने प्रतिआपत्ति में कथन किया है कि विपक्षीगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिस कारण उन्होंने न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.09.2021 के पूर्व प्रतिवादीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण के बैनामाशुदा आराजी में बने पिलर को अवैधानिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे प्रार्थीगण का काफी नुकसान हुआ और मौके पर मारपीट भी किया, जिसके बाबत प्रार्थीगण ने थाना मुकामी पर प्रार्थनापत्र दिया और विवेचनोपरान्त इन लोगों के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हुई, जो अभी लम्बित है। कथन विपक्षीगण कि फर्जी एनसीआर दर्ज करा करके थाना से मिलकर कार्यवाही किया, बिल्कुल गलत है। प्रार्थी लवकुश द्वारा सूची सबूत 29ग1 के माध्यम से नकल नक्शा नजरी मु०नं० 600/2020 एनसीआर सं० 88/2020 सरकार बनाम राघवराम अन्तर्गत धारा 427, 504, 352 भा०दं०सं०, थाना कलवारी की मूल प्रति व नकल रिपोर्ट थाना कलवारी की छायाप्रति दाखिल की है।

17. मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथपत्र कागज सं० 27क1 साक्षी ए०डब्ल्यू० 1 लवकुश द्वारा दाखिल किया गया है, जिसने प्रतिपरीक्षा के पेज–2 में यह कथन किया गया है कि "राघवराम ने जो दावा दाखिल किया है, वह 129 नम्बर पर किया है। मैंने जो अपना काउन्टरक्लेम दाखिल किया है, वह शिकमी नम्बरान 125,126,127,128,130 व गाटा सं० 38/4 पर किया है। मैंने अपने काउन्टरक्लेम में जो नक्शा नजरी दाखिल किया है, उसमें कोई शिकमी नम्बर दाखिल नहीं किया है। कागज सं० 10ग2 की जानकारी मुझे नहीं है।'' आगे

पेज–3 पर कथन किया है कि "मैंने अपने काउन्टरक्लेम में पिलर दर्शाया नहीं है, लेकिन नक्शा नजरी में लाइन/बिन्दु से प्रदर्शित किया है।''

18. विपक्षीगण/वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथपत्र कागज सं० 42 क 1 साक्षी डी०डब्ल्यू० 1 सालिकराम दाखिल है, जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–5 पर यह कथन किया है कि "हमारे नम्बर पर निर्माण कर रहे थे। मैंने रोका। कितनी दूरी पर निर्माण कर रहे थे, मैं नहीं बता सकता। जब खुदाई होने जा रही थी, तब मैंने रोका। जिस जमीन पर निर्माण हो रहा था वह 129 है।'' आगे पेज–6 पर कथन किया है कि "हमारे घर पर जब अदालत अमीन गए थे, तब महिलायें थी। अदालत अमीन घर पर गए थे, उसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली थी, न ही कोई नोटिस।'' पेज–8 के पैरा–1 में कथन किया है कि "प्रतिवादी लवकुश आदि अपना ईंट, मोरंग, सरिया आदि सामान वहां से उठा ले गए। यह मैंने अपने बयान में कहा है। यह बात सच है। प्रतिवादी लवकुश अपना सामान गिराये न हीं थे, बल्कि गिरा रहे थे। हम लोगों ने गिराने नहीं दिया। मौके पर निर्माणाधीन पिलरों में से दो पिलर मौजूद नहीं हैं 129 शिकमी नम्बर में। खुदाई करते समय ही विवाद हो गया तो पिलर बनायेंगे कैसे। प्रतिवादी लवकुश ने कोई पिलर लगाया ही नहीं तो हम तोड़ेंगे क्या।''

19. विपक्षीगण/वादीगण ने अपनी आपत्ति कागज सं० 24 ग 2 के पैरा–8 में यह कथन किया है कि हरिश्चन्द्र पुत्र पटेशर माह मार्च में अपने हिस्से में शिकमी नम्बर 38 व 40 में निर्माण कर रहे थे, जिससे विपक्षीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है, न ही विपक्षीगण की तरफ से विवादित ही है। हरिश्चन्द्र द्वारा किए जा रहे निर्माण को अदालत को दिखाकर झूठा रिपोर्ट लगवाने का प्रयास कर रहा है कि यह निर्माण विपक्षीगण द्वारा किया जा रहा है और विपक्षीगण को गलत तरीके से दण्डित कराना चाहता है।

20. इस सम्बन्ध में अदालत अमीन रिपोर्ट, नक्शा व फील्डबुक दाखिल है, जिसमें अदालत अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट कागज सं० 45 ग 2 में यह अंकित किया गया है कि मौके पर प्रतिवादीगण नहीं मिले। प्रतिवादीगण की औरत मिली। तदुपरान्त मैंने वादी, प्रतिवादीगण की पत्नी एवं गवाह की मौजूदगी में फील्डबुक बनाया। मौके पर लवकुश प्रसाद का दो आर०सी०सी० पिलर भी विवादित स्थल में पाया गया। काउन्टरक्लेमकर्ता ने बताया कि विवादित जमीन में और भी पिलर थे, जिसे राघवराम, तुलसीराम व सालिकराम ने तोड़ डाला और खुदाई करने पर अभी भी पिलर का अवशेष मिलेगा।

21. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीगण द्वारा लिए गए सम्पूर्ण आधार एवं साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी प्रतीत होते हैं। क्योंकि प्रार्थी/काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा जो स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र कागज सं० 26 ग 2 दाखिल किया गया था, उसमें प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा यह कहीं भी कथन नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा कोई पिलर लगाया गया था या कोई निर्माण कार्य हो रहा था। विवादित भूमि में प्रार्थीगण /काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र कागज सं०

26ग2 (मूलवाद सं० 143/2020) में यह भी कथन नहीं किया गया है कि विवादित आराजी पर 18 पिलर एवं नींव भरवाया था। प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण द्वारा मात्र विवादित सम्पत्ति प्रदर्शित अक्षरान अ,ब,स,द एवं य,र,ल,व पर विपक्षी/वादी को हस्तक्षेप करने से मना करने के लिए प्रार्थनापत्र 26ग2 दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा वादी का प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं प्रार्थीगण/काउन्टरक्लेमकर्तागण का प्रार्थनापत्र 26ग2 पर सुनकर यथास्थिति का आदेश दिनांक 10.09.2021 को पारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा कोई यथोचित तर्क अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि विपक्षीगण/वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.09.2021 की अवमानना की गयी है। उक्त समस्त साक्ष्य खण्डित है, जो निर्भर किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं कथनों से यह साबित नहीं होता है कि विपक्षीगण/वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.09.2021 पारित होने के बाद मौके की स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय की राय में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। प्रार्थीगण पूर्णतया अपने केस को साबित करने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थनापत्र 4ग2 हर्जे पर खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4ग2 मु० 1,000/– रूपए हर्जे पर खारिज किया जाता है। आपत्ति कागज सं० 24ग2 एवं प्रतिआपत्ति कागज सं० 26ग2 तदनुसार निस्तारित।

(दीक्षा अग्रवाल)
दिनांक 22.07.2022 सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

(दीक्षा अग्रवाल)
दिनांक 22.07.2022 सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2022.07.22 13:22:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court